

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 35/2026

अशोक कुमार पाण्डेय

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – प्रमोद कुमार सिंह, सार्दूल विक्रम स्वरूप

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कुशवाहा और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह को सुना।
2. जनहित में दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने जो ग्राम- धौरहारा, परगना- चंदा, तहसील- लम्भुआ, सुल्तानपुर में स्थित भूमि गाटा संख्या 220 ख और घ, जो नवीन परती के नाम पर दर्ज है, गाटा संख्या 220 ग, जो खलिहान के नाम पर दर्ज है, एवं गाटा संख्या 218, जो तालाब के नाम पर दर्ज है, से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. लम्भुआ, सुल्तानपुर के उपजिलाधिकारी द्वारा दिए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा है कि उपरोक्त गाटा संख्याओं पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत पहले ही संस्थित की जा चुकी है।
4. उपरोक्त लिखित निर्देश अभिलेख में ग्रहण किये गए हैं।
5. तदनुसार, संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है कि वे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपर्युक्त गाटा संख्याओं पर अतिक्रमण हटाने के लिए उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत संस्थित की गई कार्यवाही को विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक पूर्ण करें।

22 जनवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।